# कार्यालय पुलिस आयुक्त आयुक्तालय जोधपुर

क्रमांक : म.7( )पु.आ.जोध/विविध/2024/6066 दिनांकः– 06/12/2024

–:वाहन नीलामी विज्ञप्तिः–

जी.एस.टी. पंजीकृत फर्मो/व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि जिला जोधपुर पश्चिम के पुलिस थाना **कुड़ी भगतासनी सूरसागर, लूणी एवं बासनी बोरानाडा झंवर** में एनडीपीएस एक्ट 1985 में जब्त शुदा 06 दुपहिया एवं 03 चौपहिया वाहन, 01 टाटा लोंडिग टेक्सी (पुलिस थाना **कुड़ी भगतासनी** में 01 दुपहिया एवं 01 चौपहिया वाहन, पुलिस थाना **सूरसागर,** में 01 टाटा लोंडिग टेक्सी वाहन व पुलिस थाना **लूणी** में 01 दुपहिया वाहन एंव 02 चौपहिया वाहन **बासनी** 01 दुपहिया **बोरानाडा** 02 दुपहिया **झंवर** 01 दुपहिया ) को न्यायालय द्वारा धारा 52ए (2) एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के बाद सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति में खुली बोली द्वारा दिनांक 13.12.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 10.00 ए.एम. पर पुलिस थाना **कुड़ी भगतासनी** व पुलिस थाना **लूणी** पर दिनांक 13.12.2024 (शुक्रवार) को ही सायं 03:00 बजे विक्रय किया जायेगा। उक्त निलामी निर्धारित कमेटी द्वारा की जायेगी। वाहन की नीलामी से संबंधित पूर्ण शर्तें एवं वाहनों की सूची विभागीय वेबसाईट http://jodhpurpolice.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं एवं किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय जोधपुर एवं पुलिस थाना **कुड़ी भगतासनी सूरसागर, लूणी एवं बासनी बोरानाडा झंवर** में देखी जा सकती हैं। वाहन जहां है, जिस स्थिति में हैं नीलाम किया जायेगा तथा नीलामी योग्य वाहन पुलिस थाना **कुड़ी भगतासनी सूरसागर, लूणी एवं बासनी बोरानाडा झंवर** खड़े हुए हैं, जैसी स्थिति में हैं, देखे जा सकते हैं।

पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय जोधपुर

नीलामी की शर्ते/जानकारीनिम्नानुसारहैः–

1. नीलामी में भाग लेने वाली फर्म जी.एस.टी. पंजीकृत होनी चाहिए एवं जी.एस.टी. प्रमाण पत्र नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।
2. कोई खरीददार वाहन देखना चाहे तो वह पुलिस थाना **कुड़ी भगतासनी सूरसागर, लूणी एवं बासनी बोरानाडा झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर** में देख सकता है।
3. वाहन जहां, जैसी स्थिति में है, के आधार पर नीलाम किया जाऐगा।
4. प्रत्येक वाहन की बोली अलग–अलग (वाहन वार) लगानी होगी, कमेटी चाहेगी तो समूह में भी नीलामी की जा सकती हैं।

5. अमानत राशि 20000/– रूपये चौपहिया वाहन के लिये व 10000/– रूपये दुपहिया वाहन के लिये अलग–अलग होगी, जो पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय जोधपुर को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद द्वारा जमा करानी होगी। नीलामी दिनांक को नीलामी बोली प्रारम्भ होने से पूर्व डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद जमा कराना होगा, तत्पश्चात प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद को स्वीकार नही किया जावेगा।
6. नीलामी मे सफल बोली दाता को वाहन के विक्रय पर नियमानुसार प्रवृत समस्त प्रकार के राजकीय कर, फीस, जी.एस.टी. एवं वैट आदि बोली राशि के अतिरिक्त जमा करानी होगी। वाहन को परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होने के उपरान्त ही उपयोग में लिया जा सकेगा।
7. नीलामी प्रक्रिया में प्रत्येक वाहन हेतु प्राप्त प्रस्तावों में अधिकतम राशि का प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति/फर्म के नाम बोली स्वीकृत होगी, उसे अधिकतम बोली की राशि की कम से कम पचास प्रतिशत राशि तत्काल उसी समय जमा करानी होगी तथा शेष राशि 24 घण्टे के भीतर आवश्यक रूप से पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय जोधपुर में जमा करानी होगी। सम्पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात ही वाहन सुपुर्द किया जायेगा। प्रस्तावानुसार निर्धारित अवधि में सम्पूर्ण राशि जमा नहीं कराने पर इस कार्यालय द्वारा संबंधित बोली दाता की अमानत राशि एवं जमा कराई गई पचास प्रतिशत राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. अंतिम बोली पर छोड़े गये वाहन को आदेश जारी होने के पश्चात 10 दिवस में बोलीदाता को अपने स्वयं के स्तर/साधन से वाहन उठाना होगा।
9. वाहन के पंजीयन एवं हस्तांतरण आदि कराने के समस्त व्यय एवं औपचारिकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी बोली छुड़ाने वाले की होगी। वाहन नीलामी के पश्चात इस कार्यालय द्वारा उच्चतम बोलीदाता को रिलीजमीमा दिया जायेगा, जिसके आधार पर संबंधित पंजीयन कार्यालय से वाहन का स्थानान्तरण/पंजीयन कराने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इस विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. नीलामी प्रक्रिया से संबंधित समस्त विवरण, नीलामी शर्ते एवं वाहनों की सूची का प्रकाशन पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय जोधपुर के नोटिस बोर्ड पर होगा।कार्यालय समय में कभी भी अवलोकन किया जा सकता हैं।
11. नीलामी के संबंध में अंतिम निर्णय यथा किसी एक वाहन अथवा सम्पूर्ण नीलामी को निरस्त/स्थगित करने तथा अमानत राशि निश्चित करने के सम्पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगें।

पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय जोधपुर

क्रमांक : म.7( )पु.आ.जोध/विविध/2024/ दिनांकः– /12/2024

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त जोधपुर।

3. पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम।
4. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय जोधपुर को कमेटी सदस्य के रूप में उपस्थिति हेतु प्रेषित।
5. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) आयुक्तालय जोधपुर को कमेटी सदस्य के रूप में उपस्थिति हेतु प्रेषित।
6. अपराध सहायक कार्यालय पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम को कमेटी सदस्य के रूप में उपस्थिति हेतु प्रेषित।
7. लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि रोकड़पाल को निलामी किये गये वाहनों की राशि जमा करने हेतु नीलामी स्थल पर समय पर उपस्थिति देने हेतु सूचित करावें।
8. जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर शहर को प्रेषित कर निर्धारित नीलामी तिथि को स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भिजवाने हेतु।
9. प्रोग्रामर कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है, कि आयुक्तालय जोधपुर पुलिस की वेबसाईड व पोर्टल पर उक्त निलामी विज्ञप्ति एवं वाहन की सूची को अपलोड करावें।
10. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर शहर।
11. प्रभारी, सामान्य शाखा, कार्यालय हाजा को उक्त विज्ञप्ति समाचार पत्र मे प्रकाशन कराने हेतु।
12. प्रभारी, लेखा शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख हैं, कि उक्त नीलामी कार्यवाही राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कराने हेतु सम्पूर्ण तैयारी के साथ नियत दिनांक, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
13. थानाधिकारी, पुलिस थाना **कुड़ी भगतासनी सूरसागर, लूणी एवं बासनी बोरानाडा झंवर** जोधपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि निलामी दिवस को मालखाना प्रभारी को निलामी की कार्यवाही करने एवंम वाहनों को निलामी स्थल पर खड़ा रखे तथा निलामी पश्चात निलामी की सम्पूर्ण राशि निलामी कृता से प्राप्त कर समय पर रोकड़पाल के पास समय पर जमा करवायेगें।
14. रोकड़पाल कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि नीलामी स्थल पर समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
15. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

पुलिस उपायुक्त<br>
मुख्यालय जोधपुर